



क्रमांक:- पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2024-25/
संख्या / No.....

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date.....

समस्त सचिव महोदय
महा लेखाकार (लेखा व हक.)
कार्यालय

विषय:- राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2024 से 46% से 50% की बढ़ोतरी आदेश अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को भुगतान कराने हेतु भिजवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश संख्या F.12(8)FD(Rules)/2017 दिनांक 14.03.2024

महोदय,

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के उक्त संदर्भित आदेशों के द्वारा राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2024 से 46% से 50% की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सलंगन कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें। उक्त आदेश राजस्थान सरकार वित्त विभाग की वेबसाइट <http://www.finance.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

दिनांक:- 28-04-24

क्रमांक:- पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2024-25/SR/TR-17
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) विशेष सचिव वित्त, नियम खंड, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (3) अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, पो.बा.न. 3307, जयपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
- (4) वरिष्ठ लेखाधिकारी/ए.एम.जी-IV, कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा-I, जयपुर।
- (5) शाखाधिकारी, टी.आई.सेल / टी.एम. अनुभाग।

(6) गार्ड फाईल प्रति।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष : (0141)2385431-39, फैक्स: (0141)2385263

Janpath, Jaipur-302005, Tel.: (0141)2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

